


कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली

परिपत्र

आप सभी को सूचित किया जाता है कि सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ाने, इसका प्रचार-प्रसार करने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी में कार्य करने के प्रति रुची पैदा करने के लिए कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार दिनांक 16-09-2024 से (i) विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं-2024-2025 तथा (ii) हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता-2024 (स्वेच्छा से) कार्य करने की मूल्यांकन अवधि 01-01-2024 से 30-06-2024 तक का आयोजन करने जा रही हैं, जिनका स्व-व्याख्यात्मक विवरण, प्रपत्र (फार्म) एवं नियमावली इस परिपत्र के साथ संलग्न हैं। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक कर्मचारी संलग्न प्रपत्र (प्रफार्मा) पर अपने संबंधित जिले के राजभाषा हिन्दी अनुभाग को दिनांक 30 अगस्त 2024 तक भेजें।

यहाँ यह भी सूचित किया जाता है कि विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं 2024-2025 में भाग लेने के लिए इच्छुक कर्मचारी प्रतियोगिता के दिन अपने पीठासीन/नियंत्रक अधिकारी की अनुमति लेकर सीधे प्रतियोगिता स्थल पर जाकर प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं और प्रतियोगिता में शामिल होने के बाद वे वापस कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे तथा पीठासीन/नियंत्रक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इससे कार्यालय का कार्य बाधित नहीं हो।

यह परिपत्र माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पश्चिम) दिल्ली की पूर्वानुमति से जारी किया गया है।



(संजीव जैन)

अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति एवं
प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय),

जिला न्यायालय, दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 1. AUG 2024

45985-46285

संख्या...../हिन्दी/दि.स.प्रतियोगिता/238/2024

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्र संख्या फा.सं.08(03)/2024-2025/क.सं.एवं भाषा/पार्ट फा.577 से652 दिनांक 23/07/2024 तथा फा.सं.08(11)/2024-2025/क.सं.एवं भाषा/पा.फा.1716 से791 दिनांक 26/07/2024 की प्रतिलिपियों सहित परिपत्र की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न लिखित को प्रेषित की जाती है:-

1. समस्त माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली/नई दिल्ली (सूचनार्थ एवं अपने स्तर पर उक्त परिपत्रों पर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित)
2. समस्त प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय), केन्द्रीय व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
3. समस्त विद्वान न्यायिक अधिकारीगण, केन्द्रीय व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
4. कार्यालय दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण, केन्द्रीय व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
5. वि. प्रशासनिक दीयानी न्यायाधीश, केन्द्रीय व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
6. समस्त प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
7. वरिष्ठ लेखा अधिकारी एवम् लेखा अधिकारी, लेखा अनुभाग, केन्द्रीय व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
8. समस्त नोडल अधिकारीगण, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, राजभाषा हिन्दी अनुभाग, नई दिल्ली, पूर्व, उत्तर-पूर्व, शाहदरा, उत्तर, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, राउज एवेन्यू दिल्ली/नई दिल्ली।
9. अपर-सचिव, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी-विंग, सातवां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली सरकार।
10. संबंधित कर्मचारी लेयर्स, संलग्नकों सहित इसे लेयर्स परअपलोड करने हेतु।
11. वेबसाइट, जिला न्यायालय, दिल्ली, संलग्नकों सहित इसे जिला न्यायालय दिल्ली की वेबसाइट परअपलोड करने हेतु।
12. निजी सचिव, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली।
13. निजी सचिव माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पश्चिम), दिल्ली।
14. अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के रीडर।



अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति एवं
प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय),
जिला न्यायालय, दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी-विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(11)/2024-2025-क0सं0 एवं भाषा/पा0फा0/716/791

दिनांक: 26/7/2024

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा
समस्त विभागाध्यक्ष, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।

विषय: विविध हिन्दी प्रतियोगिताएं 2024-2025 के संबंध में ।
महोदय/महोदया,

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ाने, इसका प्रचार प्रसार करने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी में कार्य करने के प्रति रुचि पैदा करने के लिये कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रयास किये जाते हैं। इसी क्रम में विभाग द्वारा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र. सं.	दिनांक	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता का समय	स्थान
1.	16.09.2024	हिन्दी निबंध प्रतियोगिता वर्ग "क" "ख", "ग" तथा "घ"	3.30 बजे	राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, नं.1, लुडली कैसल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली-54
2.	17.09.2024	हिन्दी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता वर्ग "क" "ख", "ग" तथा "घ"	--वही--	--वही--
3.	18.09.2024	हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता वर्ग "क", "ख" तथा "ग"	--वही--	--वही--
4.	18.09.2024	हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता	सुबह 11.00 बजे से प्रारंभ	कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, छठां तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-02 (कम्प्यूटर पर परीक्षा देने वाले)
5.	20.09.2024	हिन्दी टाइप (मौखिक) एवं हिन्दी टाइप (लिखित)	सुबह 11.00 बजे से प्रारंभ	--वही--

कृपया अपने विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को इन प्रतियोगिताओं के आयोजन के बारे में अवगत कराने का कष्ट करें और प्रतियोगिता में शामिल होने के लिये इच्छुक प्रतियोगियों को सीधे परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने की अनुमति प्रदान करते हुए उनके नाम निर्धारित प्रपत्र में उचित माध्यम द्वारा दिनांक 08.09.2024 तक इस विभाग में भिजवाने का कष्ट करें।

विशेष टिप्पणी :-

आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं की नियमावली एवं प्रपत्र इसके साथ संलग्न है। प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक प्रतियोगियों से अनुरोध है कि वे अपना नाम भिजवाने से पूर्व संलग्न की गई नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टाइप (मौखिक/लिखित) परीक्षा कम्प्यूटर पर ली जायेगी। कम्प्यूटर पर परीक्षा देने वाले प्रतियोगी कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, छठां तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-02 में पूर्वाह्न 10.30 बजे तक परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे। परीक्षा से संबंधी सूचना नीचे दी गई विभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

टीप: संबंधित जानकारी विभाग की वेबसाइट <https://artandculture.delhi.nic.in> पर देखी जा सकती है।

भवदीय

विवेक अग्रवाल
26/10

(विवेक अग्रवाल)
अपर सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)
दूरभाष संख्या: 011-23392001-06
इन्टरकॉम नम्बर: 1019, 2624, 3734

फा.सं. 08(11)/2024-2025-क0सं0 एवं भाषा/पाठफा0/ 792 स 809

दिनांक: 26/7/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/क्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
6. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिन्दी कार्यान्वयन समिति जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय,तीस हजारी, दिल्ली।
7. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, छां तल, टावर-II, पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
8. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, मिन्टो रोड, नई दिल्ली।
9. दिल्ली सरकार के समस्त स्थायत निकाय/निगम, दिल्ली/नई दिल्ली।
10. दिल्ली सरकार के अंतर्गत समस्त समितियाँ/बोर्ड/परिषद्/संगठन, दिल्ली/नई दिल्ली।
11. कला, संस्कृति एवं भाषा को वेबसाइट पर अपलोड करने के संदर्भ में।

विशेष अतिरिक्त
26/7

(विशेष अग्रवाल)
अपर सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)
दूरभाष संख्या: 011-23392001-06
इन्टरकॉम नम्बर: 1019, 2624, 3734

- (iv) वर्ग "घ" में समस्त मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल होंगे।
- (6) हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण प्रतियोगिता का समय एक घंटे का होगा और इसके पूर्णांक 100 होंगे। इस प्रतियोगिता में कार्यालय के रोजमर्रा के विषयों से संबंधित हिन्दी में टिप्पणी एवं पत्र/परिपत्र/आदेश/ज्ञापन के प्रारूप लिखने होंगे। मूल्यांकन भाषा-शैली, विषयपरकता, नियमों के अनुसार प्रस्तुतिकरण के आधार पर किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगे:-
- (i) वर्ग "क" में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 व उससे ऊपर के राजपत्रित अधिकारी शामिल होंगे।
- (ii) वर्ग "ख" में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 से 7 के अन्तर्गत अराजपत्रित कर्मचारी शामिल होंगे।
- (iii) वर्ग "ग" में शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् एवं अन्य किसी सरकारी संस्थान के अध्यापकगण शामिल होंगे।
- (iv) वर्ग "घ" में समस्त मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल होंगे।
- (7) हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता का समय 5-7 मिनट होगा। इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगे :-
- (i) वर्ग "क" में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 व उससे ऊपर के राजपत्रित अधिकारी शामिल होंगे।
- (ii) वर्ग "ख" में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 से 7 के अन्तर्गत अराजपत्रित कर्मचारी शामिल होंगे।
- (iii) वर्ग "ग" में समस्त मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल होंगे।
5. प्रत्येक प्रतियोगिता के लिये नकद-पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित है :-
- | | | |
|---------------------|--------|---------------|
| प्रथम पुरस्कार | (एक) | 4000 / -रुपये |
| द्वितीय पुरस्कार | (एक) | 3000 / -रुपये |
| तृतीय पुरस्कार | (एक) | 2000 / -रुपये |
| प्रोत्साहन पुरस्कार | (पाँच) | 800 / -रुपये |
6. सभी प्रतियोगिताओं में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हो सकता है परन्तु प्रतियोगी को पुरस्कार केवल किसी एक प्रतियोगिता में ही दिया जायेगा, जिसमें प्रतियोगी की मेरिट बेहतर होगी। यदि दो अधिकारी/कर्मचारियों ने समान अंक प्राप्त किये हैं तो रोल नम्बर के अनुसार पुरस्कार दिया जायेगा।
7. सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा), दिल्ली सरकार को इन प्रतियोगिताओं की नियमावली के किसी उपबंध, पुरस्कारों की राशि, संख्या, और परीक्षा के स्थान, तिथि व समय आदि में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार होगा।
8. इन प्रतियोगिताओं से संबंधित किसी भी विवाद, शिकायत या इसके उपबंधों के निर्वहन आदि के बारे में, सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा), दिल्ली सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।
9. इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग तथा हिन्दी अकादमी के अधिकारी/कर्मचारी एवं किसी अन्य संस्थान के राजभाषा विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को भाग लेने की अनुमति नहीं है।

हिन्दी की विविध प्रतियोगिताओं की नियमावली (वर्ष 2024-2025)

1. इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ समस्त स्वायत्त निकाय अर्थात् दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, समस्त जिला एवं सत्र न्यायालय और दिल्ली जल बोर्ड इत्यादि के अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं।
2. ये प्रतियोगिताएं निःशुल्क हैं।
3. सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् हिन्दी की विविध प्रतियोगिता के प्रश्न पत्र तैयार करना एवं उत्तर पुस्तिकाओं की जांच राजभाषा विभाग, भारत सरकार के अधिकारियों से करवाई जाती है।
4. इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना नाम उप-सचिव/कार्यालयाध्यक्ष, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, छठा तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 इस्टेट, नई दिल्ली के पास उचित माध्यम से भेजने होंगे।

आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं का विवरण निम्न प्रकार से है :-

- (1) हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता में हिन्दी में 5 मिनट की डिक्टेसन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दी जायेगी। डिक्टेसन पूर्ण होने के पश्चात् प्रतियोगी को उत्तर पुस्तिका पर डिक्टेसन का हिन्दी रूपान्तरण 40 मिनट की अवधि में टाइप करके अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता में केवल एक ही वर्ग होगा।
- (2) हिन्दी टाइप (मौखिक) प्रतियोगिता 5 मिनट की होगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा। प्रतियोगिता में टाइपिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट निर्धारित है।
- (3) हिन्दी टाइप (लिखित) प्रतियोगिता 5 मिनट की होगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा तथा लिखित प्रश्न-पत्र दिया जाएगा। प्रतियोगिता में टाइपिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट निर्धारित है।
- (4) कोई भी प्रतियोगिता केवल तभी आयोजित की जा सकेगी, जब संबंधित वर्ग में कम से कम 5 प्रतिभागी अवश्य भाग लें। यदि संबंधित वर्ग की परीक्षा में 5 से कम प्रतिभागी उपस्थित होते हैं तो प्रतियोगिता का आयोजन निरस्त समझा जायेगा।
- (5) हिन्दी निबंध प्रतियोगिता में प्रतियोगी को दिए गए विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना होगा। निबंध प्रतियोगिता परीक्षा 100 अंकों की होगी और समयावधि 45 मिनट होगी। निबंध का मूल्यांकन भाषा शैली, विषयपरकता, अभिव्यक्ति एवं प्रश्न पत्र में निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगे :-
 - (i) वर्ग "क" में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 व उससे ऊपर के राजपत्रित अधिकारी शामिल होंगे।
 - (ii) वर्ग "ख" में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 से 7 के अन्तर्गत अराजपत्रित कर्मचारी शामिल होंगे।
 - (iii) वर्ग "ग" में शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् एवं अन्य किसी सरकारी संस्थान के अध्यापकगण शामिल होंगे।

10. प्रत्येक प्रतियोगिता के किसी एक वर्ग में इस वर्ष प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रतियोगी अगले एक वर्ष तक उस प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र नहीं होगा। जो प्रतियोगी इस वर्ष की प्रतियोगिता में द्वितीय या तृतीय पुरस्कार प्राप्त करते हैं, वे अगले वर्ष की प्रतियोगिता में केवल उससे ऊपर के पुरस्कार अर्थात् प्रथम या द्वितीय पुरस्कार के लिए ही पात्र होंगे। जो प्रतियोगी प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करते हैं वे एक वर्ग में लगातार केवल दो वर्ष तक ही प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र होंगे।
11. प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर प्रतियोगी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा इसके अतिरिक्त उसे अगले तीन वर्षों के लिए प्रतियोगिता से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसी अनियमितता की सूचना उसके विभाग को उचित कार्यवाही हेतु भेज दी जायेगी।
12. केवल कार्यालय के वेतन रोल पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी ही प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र होंगे, जिनके नाम विभाग द्वारा उचित माध्यम से इस विभाग को प्राप्त होंगे।
13. प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

विवेक अग्रवाल
26/2

(विवेक अग्रवाल)
अपर सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)
दूरभाष संख्या: 011-23392001-06
इन्टरकॉम नम्बर: 1019, 2624, 3734

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
(कार्यालय का नाम

हिन्दी निबंध, हिन्दी टिप्पण-आलेखन, हिन्दी सुलेख, हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी टाइप (लिखित/मौखिक) प्रतियोगिता 2024-2025 में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रपत्र:-

(प्रपत्र के सभी कॉलम भरने अनिवार्य हैं)

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम :
2. पिता/पति/माता का नाम :
3. पदनाम :
4. वेतन मैट्रिक्स में स्तर :
5. शैक्षिक योग्यता :
6. विभाग का नाम व पूरा पता *C-24/पुस्तक विभागा, दिल्ली* :
7. ई-मेल आईडी (अवश्य लिखें) :
8. अधिकारी/कर्मचारी का मोबाईल नम्बर :

अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

अग्रसारित करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं मोहर

नोट: कृपया प्रपत्र भरने से पूर्व संलग्न नियमावली अवश्य पढ़ें।

(२४-६)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी-विंग, सातवां तल,
आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(03)/2024-2025/क0सं0 एवं भाषा/पार्ट फा0/577 ले 652
सेवा में,

दिनांक: 23/07/2024

समस्त विभागाध्यक्ष
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली ।

विषय: हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता-2024 (स्वेच्छा से) कार्य करने की
मूल्यांकन अवधि 01.01.2024 से 30.06.2024 तक ।

महोदय/महोदया,

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाने, इसका प्रचार-प्रसार करने तथा कार्यालय कार्य हिन्दी में करने के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) का आयोजन किया जा रहा है । इस योजना के अधीन हिन्दी में सबसे अधिक कार्य करने वाले 20 राजपत्रित अधिकारियों तथा 33 अराजपत्रित कर्मचारियों को नकद पुरस्कार राशि, शील्ड व प्रशस्ति पत्र दिये जायेंगे । इस प्रतियोगिता के लिये अधिकारी वर्ग के लिये 20 पुरस्कारों में से 5 पुरस्कार अन्य भाषा-भाषी अधिकारियों को दिये जाने का प्रस्ताव है । यदि अन्य भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके स्थान पर ये पुरस्कार हिन्दी भाषी अधिकारियों को दिये जायेंगे । इस प्रतियोगिता के लिये हिन्दी में कार्य करने की मूल्यांकन अवधि 01.01.2024 से 30.06.2024 तक निर्धारित की गई है । प्रतियोगिता की नियमावली एवं प्रपत्र इसके साथ संलग्न है ।

समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्ष से अनुरोध है कि इस प्रतियोगिता में केवल उन्ही अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम भेजे जायें जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के हिन्दी में किये गये कार्यों से वे स्वयं संतुष्ट हों । प्रतियोगिता हेतु भेजे गए आवेदन पत्र कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित होना चाहिये ।

कृपया अपने विभाग/कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को इस प्रतियोगिता के बारे में अवगत कराने का कष्ट करें और हिन्दी में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम मूल्यांकन की अवधि को ध्यान में रखते हुये निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 30 सितम्बर, 2024 तक इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें । निरीक्षण के उपरान्त परिणाम संबंधी सूचना नीचे दी गई विभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है ।

कृपया इसे प्राथमिकता दें ।

टीप: संबंधित जानकारी विभाग की वेबसाइट <https://artandculture.delhi.gov.in> पर देखी जा सकती है ।

भवदीय

विवेक अग्रवाल
24/7

(विवेक अग्रवाल)

अपर सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

दूरभाष संख्या: 011-23392001-06

इन्टरकॉम नम्बर: 1019, 2624, 3734

जारी- /2.....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली ।
6. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिन्दी कार्यान्वयन समिति जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय, तीस हजारी, दिल्ली ।
7. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, छठां तल, टावर-II, पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली ।
8. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड, नई दिल्ली ।
9. दिल्ली सरकार के समस्त स्वायत्त निकाय/निगम, दिल्ली/नई दिल्ली ।
10. दिल्ली सरकार के अंतर्गत समस्त समितियाँ/बोर्ड/परिषद्/संगठन, दिल्ली/नई दिल्ली ।
11. कला, संस्कृति एवं भाषा को वेबसाइट पर अपलोड करने के संदर्भ में।

विवेक अग्रवाल
24/7
(विवेक अग्रवाल)

अपर सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)
दूरभाष संख्या: 011-23392001-06
इन्टरकॉम नम्बर: 1019, 2624, 3734

हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) की नियमावली
(वर्ष 2024-2025)

1. इस प्रतियोगिता का नाम हिन्दी टिप्पण व प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) होगा।
2. इस प्रतियोगिता का उद्देश्य दिल्ली सरकार के विभागों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देना तथा अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी में सरकारी कामकाज के प्रति रुचि पैदा करना है।
3. इस प्रतियोगिता में दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग तथा किसी अन्य विभाग के राजभाषा अनुभाग/शाखा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर दिल्ली सरकार के समस्त विभागों/स्वायत्त निकायों/निगम के अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं।
4. इस प्रतियोगिता के मूल्यांकन की अवधि 01 जनवरी, 2024 से 30 जून, 2024 तक होगी।
5. उपर्युक्त अवधि में हिन्दी में लिखी टीपों/प्रारूपों की जांच की जायेगी।
6. टीप के बीच में आए पारिभाषिक अंग्रेजी शब्दों पर कोई आपत्ति नहीं होगी। हिन्दी में नोट लिखते समय किसी अंग्रेजी शब्द को देवनागरी/रोमन में लिखने पर टीप हिन्दी में ही मानी जायेगी। व्याकरण/वर्तनी (स्पेलिंग) की छोटी-मोटी भूलों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।
7. टीप में "देखा", "धन्यवाद", "कृपया चर्चा करें", "फाईल करें" इत्यादि शब्दों को भी एक-एक लाईन माना जायेगा तथा पुरस्कारों के निर्धारण हेतु शब्दों की कोई सीमा नहीं होगी, बल्कि यह कार्मिक द्वारा हिन्दी में किये गये समस्त कार्य की मात्रा के आधार पर किया जायेगा।
8. इस प्रतियोगिता से संबंधित प्रोफार्मा भरकर दिनांक 30 सितम्बर, 2024 तक इस विभाग में भिजवाना आवश्यक है।
9. प्रतियोगिता में दो वर्ग होंगे (1) अधिकारी वर्ग, इस वर्ग में अधीक्षक, समकक्ष एवं उच्च अधिकारी तथा (2) कर्मचारी वर्ग में लिपिक से लेकर सहायक के पद तथा अपने विभाग में डायरी, डिस्पैच, अन्य सरकारी कार्य या उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपा गया विभागीय कार्य हिन्दी में करने वाले मल्टी टास्किंग स्टाफ भी सम्मिलित होंगे।
10. दोनों वर्गों में पुरस्कार राशि निम्न प्रकार से होगी:-

	पुरस्कारों की संख्या	वर्तमान राशि
(1) अधिकारी वर्ग	20 पुरस्कार	4000/-रुपये (प्रत्येक)
(2) कर्मचारी वर्ग	प्रथम पुरस्कार	4000/-रुपये (एक)
	द्वितीय पुरस्कार	3000/-रुपये (एक)
	तृतीय पुरस्कार	2000/-रुपये (एक)
	प्रोत्साहन पुरस्कार	800/-रुपये (तीस)(प्रत्येक)
11. इस प्रतियोगिता के अधिकारी वर्ग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 या उससे ऊपर के राजपत्रित अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित होंगे।
12. इस प्रतियोगिता के कर्मचारी वर्ग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-1 से 6 तक के कर्मचारी सम्मिलित होंगे।

13. अधिकारी वर्ग में 5 पुरस्कार अन्य भाषा-भाषी अधिकारियों को दिये जाने का प्रस्ताव है यदि अन्य भाषा-भाषी अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके स्थान पर ये पुरस्कार हिन्दी भाषी अधिकारियों को दिये जायेंगे।
14. निर्धारित प्रपत्र में हिन्दी भाषा-भाषी अथवा अन्य भाषा-भाषी (अधिकारी/कर्मचारी) लिखाना अनिवार्य है।
15. इस प्रतियोगिता में दिल्ली सरकार के भाषा विभाग तथा हिन्दी अकादमी के कर्मचारी एवं किसी अन्य स्वायत्त निकाय/स्थानीय निकाय/संस्थान के राजभाषा अनुभाग/शाखा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी भाग नहीं लेंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य एवं अध्यापक भी भाग नहीं ले सकेंगे।
16. सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) को प्रतियोगिता के नियमों में तथा पुरस्कारों की राशि में फेरबदल करने का पूरा अधिकार होगा। इस संबंध में किसी शिकायत पर सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) का निर्णय सर्वमान्य होगा।
17. हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण प्रोत्साहन प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) की प्रतियोगिता में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कार्यालय के रोजमर्रा के विषयों से संबंधित हिन्दी में टिप्पणी एवं पत्र/परिपत्र/आदेश/ज्ञापन आदि के रूप में किए गए कार्य के मूल्यांकन हेतु आधार माना जाएगा। मूल्यांकन भाषा-शैली, विषयपरकता, नियमों के अनुसार प्रस्तुतिकरण के आधार पर किया जाएगा।
18. इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रोफार्मा में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित करवाये जा सकते हैं।
19. लिपिकों द्वारा की गई टिप्पण-प्रारूपण में उसके हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी भी कर्मचारी के साथ-साथ इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।
20. नियमावली के अनुसार मांगी गई प्रविष्टियों का मूल्यांकन करने के लिये निर्धारित समिति द्वारा जांच कर तदनुसार पुरस्कार की संस्तुति की जायेगी। समिति की संस्तुति का परिणाम अंतिम माना जाएगा।
21. नियमों की व्याख्या अथवा अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिये कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग में टेलीफोन दूरभाष संख्या: 011-23392001-06 इन्टरकॉम नम्बर: 3734, 2624 पर संपर्क किया जा सकता है।

विवेक अग्रवाल
24/12

(विवेक अग्रवाल)

अपर सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

दूरभाष संख्या: 011-23392001-06

इन्टरकॉम नम्बर: 1019, 2624, 3734

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
(कार्यालय का नाम

हिन्दी टिप्पण व प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) वर्ष 2024-2025 में भाग लेने के लिये अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भरे जाने वाला निर्धारित प्रपत्र :-

(मूल्यांकन की अवधि 01 जनवरी, 2024 से 30 जून, 2024 तक)

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. पदनाम (वेतन मैट्रिक्स सहित) :
4. विभाग का नाम व पूरा पता
दूरभाष/मोबाईल संख्या सहित
(जिला सहित) :
5. हिन्दी में किए गए कार्यों का ब्यौरा
(छायाप्रति सहित) :
6. अन्य भाषा-भाषी/हिन्दी भाषी
(लिखना अनिवार्य है) :

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले
अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर एवं मोहर

नोट: कृपया प्रपत्र भरने से पूर्व संलग्न नियमावली अवश्य पढ़ें।